Government of India

रूसा मौजूदा कारक एक झलक में

परिचय

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य उच्च शिक्षा विभागों और संस्थानों को महत्वपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना है और व्यापक उद्देश्यों का उपयोग, इक्विटी और उत्कृष्टता को प्राप्त करना है। रूसा अनुदान के हकदार होने के लिए, राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग और संस्थानो को कुछ शासन, शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों को अमल में लाना है । रूसा का कार्यान्वयन सही मायने में मई 2014 के बाद शुरू हुआ।

उपलब्धियां

रूसा के कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं:

1. कवरेज: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है । 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश रूसा में भाग ले रहे हैं। अब तक 2000 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वितीय सहायता दी जा चूकी है।

2. सकल नामांकन अनुपात (जीईआर): रूसा के प्रक्षेपण से पूर्व राष्ट्रीय जीईआर 20.8 (2012) था, जिसमें पुरुष जीईआर 22.1 और स्त्री जीईआर 19.4 था। जीईआर में वृद्धि को बनाए रखने में रूसा की सहायता महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जीईआर में काफी वृद्धि हो कर 24.5 दर्ज की गई है, जिसमें पुरुष जीईआर 25.4 और महिला जीईआर 2015-16 में 23.5 पर है (एआईएसएचई 2015-16)।

3. शिक्षण पदों में रिक्तियों का भरना: रिक्त पदों पर भर्ती और भरने पर प्रतिबंध हटाने पर रूसा के तहत राज्यों द्वारा किए गए प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, कई राज्यों ने शिक्षण पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

4. राज्य उच्च शिक्षा योजना के संस्थानकरण: रूसा के गठन से पहले, 9 राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को विधायिका के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। राज्यों ने रूसा में शामिल होने के लिए एक निश्चित समय के भीतर राज्य उच्च शिक्षा परिषद को तैयार करने में प्रतिबद्ध थे। अभी तक, 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले से ही एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा परिषद तैयार की है और 16 अन्य राज्यों ने विधान मंडल के एक अधिनियम के जरिये स्थापित किया है। अभी तक, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी उच्च शिक्षा योजना पेश किया हे। प्रत्येक राज्य को अपने प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श द्वारा एक राज्य उच्च शिक्षा योजना तैयार करना होगा ।

5. जीएसडीपी की प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा के लिए राज्य का योगदान: कुल मिलाकर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा में राज्यों के खर्च में वृद्धि हुई है।

6. शासन सुधार: कई राज्य संबंधन प्रक्रिया को कम करने और विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। संस्थागत और प्रणाली स्तर पर कुछ शासन और प्रशासनिक सुधारों को संबोधित करने के लिए ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कानून में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मौजूदा कारक

1. मौजूदा स्वायत्त कॉलेज के उन्नयन के माध्यम से विश्वविद्यालय का निर्माण

Digital Launch of RUSA Portal and Projects, April 2017 by Shri Prakash Javadekar, Union HRD Minister

- इस तरह के हस्तक्षेप का उद्देश्य है- राज्य विधान मंडल के एक अधिनियम के माध्यम से, पूर्ण शैक्षिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता वाले कॉलेजों को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की अनुमति देना। क्यूंकि मौजूदा ढांचे के तहत कॉलेज डिग्री प्रदान नही कर सकता है
- उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेज जिसको यूजीसी ने स्वायत्त (शैक्षिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता) घोषित कर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, इसके पात्र है।
- इस तरह के कॉलेजों में 'उत्कृष्टता के लिए संभावित कॉलेज' का टैग होना चाहिए।
- वैसे कॉलेज जिनके पास उच्च शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, स्नातकोत्तर विभाग, अपने स्वीकृत संकाय पदों में से 85% भरे हुए हैं, विचार करने योग्य हैं।
- उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों में संबद्धता के बोझ को कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने की अनुमति देते हैं।
- 8 यूनिट को रु. 440 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 286 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 94.21 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

2. एक समूह में कॉलेजों के रूपांतरण के माध्यम से विश्वविद्यालय का निर्माण

- इस तरह के हस्तक्षेप का उद्देश्य है- राज्य विधायिका के एक अधिनियम के माध्यम से, 3-5 कॉलेजों को एक साथ लाना जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है (लेकिन डिग्री देने का अधिकार नहीं है) और उन्हें एक विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना (जिसमें डिग्री देने का अधिकार है)।

Government College for Women, Jammu

- उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेज जिसको यूजीसी ने स्वायत्त (शैक्षिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता) घोषित कर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, इसके पात्र है।
- इस तरह के कॉलेजों में 'उत्कृष्टता के लिए संभावित कॉलेज' का टैग होना चाहिए और 15-20 किमी के आसपास के क्षेत्र में काम करना चाहिए।
- वैसे कॉलेज जिनके पास उच्च शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, स्नातकोत्तर विभाग, अपने स्वीकृत संकाय पदों में से 85% भरे हुए हैं, विचार करने योग्य हैं।
- चयनित इन कॉलेजों को अंतर और बहु-अनुशासनात्मक कार्यक्रमों की पेशकश करनी चाहिए।
- उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों में संबद्धता के बोझ को कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने की अनुमति देते हैं।
- 8 यूनिट को रु. 440 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 330 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 131.24 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

3. विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढाँचे के लिए अनुदान

- 4 मे से 2.5 से अधिक, मान्य एनएएसी मान्यता वाले विश्वविद्यालय, इसके पात्र होंगे।
- बुनियादी जरूरतों की सुविधा को मजबूत बनाने के लिए समर्थन देने और नए निर्माण, मरम्मत और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान।
- 8 यूनिट को रु. 440 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 330 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 131.24 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

MDC Atmakur Kurnool, Andhra Pradesh

4. नया मॉडल कॉलेज

- शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले में, आवश्यक बुनियादी ढांचे (कक्षा के कमरे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संकाय कमरे, शौचालय ब्लॉक और तकनीकी उन्नत सुविधाओं के साथ अन्य आवश्यक आवश्यकताओं) वाले कॉलेज बनायें।
- राष्ट्रीय जीईआर के नीचे (2012 के अनुसार 12.4) गैर-सेवारत और अंडर-सर्विस जिलों में ऐसे कॉलेज बनाई गई।
- 72 यूनिट को रु. 859.69 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 548.12 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 300.69 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

5. मॉड्यूल डिग्री कॉलेजों के लिए मौजूदा डिग्री कॉलेजों का उन्नयन

- गैर-शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मौजूदा डिग्री कॉलेजों को एक मॉडल डिग्री कॉलेज में अपग्रेड करना।
- 54 यूनिट को रु. 212.36 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 149.52 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 75.95 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

Government Engineering College, Kangra, Himachal Pradesh

6. नए कॉलेज (व्यावसायिक)

- देश के वैसे क्षेत्रों और जिलों जहाँ सकल नामांकन अनुपात (तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में) राष्ट्रीय औसत से नीचे है, में नए व्यावसायिक कॉलेज बनाना।
- इस घटक के अंतर्गत समर्थन, उन क्षेत्रों में जहां ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के जीईआर में सुधार करना है।
- 29 यूनिट को रु. 754 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 556.4 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 178.75 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

7. कॉलेजों को बुनियादी ढांचा के लिए अनुदान

- 4 में से 2.5 से अधिक, मान्य एनएएसी मान्यता वाले कालेज, इसके पात्र होंगे।
- बुनियादी जरूरतों की सुविधा को मजबूत बनाने के लिए समर्थन देने और नए निर्माण, मरम्मत और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान।
- 1249 यूनिट को रु. 2,498.79 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 1686.45 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 896.59 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

8. अनुसंधान, नवीनीकरण और गुणवत्ता सुधार

- इस घटक ने एक इकाई के रूप में राज्य का समर्थन किया
- एक व्यापक शोध योजना प्रस्तुत करने के बाद राज्य विश्वविद्यालय समर्थन के योग्य हैं।
- एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर, प्रस्तावों का समर्थन किया गया।
- 3 यूनिट को रु. 37.27 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 23.05 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 12.03 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

9. इक्विटी पहल (एक इकाई के रूप में राज्य)

- यह पहल, राज्य एक इकाई के रूप में, सबसे कमजोरों की शिक्षा को सुधारने और सामाजिक निपटारे और आर्थिक समूह के लिए है।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए वाले समूहों के लिए भाषा प्रयोगशालाओं और उपचारात्मक कोचिंग के माध्यम से लैंगिक असमानताओं, शिक्षा को संबोधित करने में वित्तीय सहायता प्रदान की गई
- 18 यूनिट को रु. 77.45 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 59.05 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 24.93 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

Computer Lab at Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana

10. संकाय भर्ती सहायता

- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फैकल्टी पदों का निर्माण करना, जहां संस्थान ने मंजूर रिक्त संकाय पदों के 85% को भरने के साथ अनिवार्य रूप से अनुपालन किया है।
- शिक्षण और अनुसंधान में बेहतर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन पदों को प्रदान किया गया है
- 253 यूनिट को रु. 26.24 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 22.27 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 0.65 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

11. संकाय सुधार

- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संकाय की क्षमता निर्माण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज (अब मानव संसाधन विकास केंद्र कहा जाता है) को सहायता।
- 67 में से 12 एचआरडीसी कलाकारों के रूप में योग्य।
- संकाय में शैक्षणिक, अनुदेशात्मक डिजाइन, रिफ्रेशर, अभिविन्यास और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- 8 यूनिट को रु. 41.49 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 28.04 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 7.57 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

12. संस्थागत पुनर्गठन, क्षमता निर्माण और सुधार

- रुसा स्कीम के सुचारू रूप से कार्यान्वयन में संस्थागत प्रक्रियाओं और संरचनाओं को स्थापित करने में उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए यह घटक राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- एमएमईआर अनुदान के राज्य के हिस्से के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

13. उच्च शिक्षा के कौशलीकरण (एक इकाई के रूप में राज्य)

- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कौशल आधारित कार्यक्रमों के लिए यह घटक समर्थन प्रदान करना चाहता है।
- इस तरह के हस्तक्षेप का उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्नातकों और स्नातकोत्तर के रोजगार क्षमता में सुधार के लिए है।
- इस घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता का मतलब, प्रशिक्षण और अभिविन्यास क्षेत्रीय कौशल क्षेत्रों के साथ छात्रों को लैस करने के लिए है।
- 7 यूनिट को रु. 93.43 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 62.259 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 34.0605 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।

14. नेतृत्व विकास और पाठ्यक्रम सुधार

- नई पीढ़ी के शिक्षार्थियों का ज्ञान, कौशल, दक्षता और रोजगार में सुधार।
- संकाय के डोमेन ज्ञान और शिक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए।
- संबंधित सिस्टम में परिवर्तन लाकर पाठ्यक्रम की प्रगति के लिए एक समग्र और ठोस आधार प्रदान करना, जैसे मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली और प्रक्रियाएं।
- इस योजना के तहत 10-15 विश्वविद्यालयों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- 5 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 640 उच्च शिक्षा प्रशासक प्रशिक्षित।
- 10 यूनिट को रु. 5 करोड़ की मंजूरी मिली, जिसमे केंद्रीय शेयर 5 करोड़ रुपये है। 30 अगस्त 2017 तक 1 करोड़ रुपये फण्ड की निकासी हुई।